न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 109/ 2016 दायर तारीख :– 05.02.2016

1. रूधनाथ पुत्र गोमाराम जाति कुम्हार नि0 आमखास की ढाणी जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. नानूराम पुत्र छीतर
2. पन्नालाल पुत्र छीतर
   समस्त जाति कुम्हार नि0 आमखास की ढाणी जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर
3. तहसीलदार तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. चन्दादेवी पत्नि गोपाललाल जाति कुमावत नि0 डेहरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व तकासमा आराजीयात

उपस्थित :– श्री रामसिंह, अधिवक्ता वादी
श्री जयन्त चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 व 4

निर्णय

निर्णय दिनांक 6-11-19

वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 3294 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 3296 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 3298 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा वाकै जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर का पर्चा सेटलमेन्ट के समय गोमा वल्द काना, छीतर वल्द बक्सा काबिज काश्त थे, जिसके अनुसार गोमा 1/2 हिस्से का व छीतर 1/2 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त आराजीयात का एकीकरण होकर नये नम्बर खं0नं0 1612 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा शां0नं0 1613, खं0नं0 1658 रकबा 7 बीघा 3 स्विा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा डाले गये, जिमसें भी गोमा 1/2 हिस्सें का व छीतर 1/2 हिस्सें का हकदार था ओर इसी अनुसार कब्जा काश्त था व गोमा के स्वर्गवास बाद वादी जो उसका जांयदा पुत्र है उसके 1/2 हिस्सें पर काबिज है व प्रतिवादीगण जो छीतर पुत्र बक्सा के वारिसान है 1/2 हिस्सें पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्ड में पर्चा "गोमा वल्द काना, छीतर वल्द बक्सा" के नाम खाता सं0 349 का जारी किया गया किन्तु बाद में छीतर वल्द बक्सा की जगह छीतर वल्द गंगाराम कर दिया गया व गोमा वल्द काना बदस्तुर चलता रहा। जिस पर छीतर ने दुरूस्ती का आवेदन तहसील में पेश किया जिस पर तहसील के आदेश भू0अ0/79/73/ दिनांक 05.01.79 जारी किया गया, जिसमें "छीतर पुत्र गंगाराम" की बजाय छीतर पुत्र बक्सा "दर्ज होना था जो पूर्व सेटलमेन्ट खतौनी व जमाबन्दीयों अनुसार 1/2 हिस्सें की दुरूस्ती होनी थी किन्तु नामान्तकरण सं 570 पटवारी ने भरा उसमें कॉलम सं0 5 में गोमा पुत्र काना का जो 1/2 हिस्सें का हकदार था नाम दर्ज नहीं किया व केवल "छीतर पुत्र गंगाराम ... कर दिया ओर कॉलम सं0 11 में "छीतर वल्द बक्सा" दर्ज कर दिया ... का खुलासा नहीं किया इस कारण एकीकरण नं0 3294, 3296, 3298 के नये नं0 ... 1613 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 1658 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा की सम्पूर्ण की खातेदारी अन्य नम्बरों के साथ अकेले "छीतर पुत्र बक्सा" के नाम दर्ज हो गयी जबकि उसका केवल 1/2 हिस्सें

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

Scanned by CamScanner

पर ही कब्जा था और 1/2 हिस्से का ही पर्चा जारी हुआ और नामान्तकरण सं0 5701 भी उक्त नम्बरों का 1/2 हिस्से का ही दर्ज होना चाहिये था तथा 1/2 हिस्से का "गोमा वल्द काना" दर्ज होना चाहिए था हालांकि कब्जा काश्त इसी अनुसार चलता रहा और गोमा के स्वर्गवास बाद वादी 1/2 हिस्से पर काबिज है व छीतर के स्वर्गवास बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज है छीतर या प्रतिवादीगण का कभी सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा नहीं रहा अतः उक्त नामान्तकरण सं0 570 जो स्पष्ट हिस्से का नहीं भरा गया है वादीगण कतई पाबन्द नहीं है। कथित नामान्तकरण सं0 570 के आधार पर खातेदारी में "गोमा वल्द काना" का 1/2 हिस्सा दर्ज न होने से व छीतर पुत्र नगाराम की बजाय छीतर पुत्र बक्सा की दुरूस्ती तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक कर देने से व हिस्सों की जांच न करने के कारण छीतर का नाम दर्ज हो गया और इसने कभी गोमा के हिस्से व वादी के हिस्से में दखल नहीं किया व उक्त गलती की कोई जानकारी गोमा या वादी को नहीं हुयी किन्तु छीतर के स्वर्गवास बाद खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम खुल गयी उन्होंने भी कब्जे वादी में मजाहमत नहीं की किन्तु जमीनों के भाव बढ़ जाने से व गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है व वादी को उसके 1/2 हिस्से से वंचित करना चाहते है। इस गरज से दिनांक 20.09.08 को प्रतिवादीगण अजनबियों को साथ लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये व विक्रय की बातचीत करने लगे व वादी के आपति करने पर व दुरूस्ती कराने की कहने पर दुरूस्ती से इंकार हो गया व आराजी विक्रय करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी अतः यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी/तकासमा आराजी/स्थायी निषेधाज्ञा/दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वकील श्री झाबरमल चौधरी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीया चन्द्रादेवी ने प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 जा0दी0 का पेश किया उक्त प्रा0पत्र स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं0 4 के रूप मे चन्द्रादेवी को पक्षकार कायम किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से वकील श्री जयन्त चौधरी ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने वादी रूघनाथ गवाह भूरा, जगदीश मांगू के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गये। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु कई बार अवसर दिये गये परन्तु वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की इसलिए वकील प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गयी। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। तनकीयात कायम की गयी।

1. आया विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1612 शा0न0 1613 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा, ख0न0 1658 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम माच्छरखानी तह0 फलेरा पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें [illegible] काश्तकार वादी 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से [illegible] व 2 अपने अपने है व इसी अनुसार दुरूस्ती योग्य है [illegible] वादी व [illegible] हिस्से पर काबिज है इसी अनु[illegible]

वादी

2. आया पर्चा सेटलमेन्ट के अनुसार गोमा वल्द काना [illegible] स्थान पर 1/2 हिस्सा वादी व छीतर वल्द बक्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है जो एकीकरण में हुई गलती को पूर्व परचा सेटलमेन्ट के अनुसार दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:19:57 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] खण्ड अधिकारी [illegible] टोंक

Scanned by CamScanner

आगे विवादग्रस्त आराजी पर पर्चा सेटलमेन्ट छीतर वल्द बक्सा के जीवनकाल से ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सें पर काबिज है एवं इसी अनुसार तकसीमी करवाया जाना आवश्यक है प्रतिवादीगण के हिस्सें से वादी का कोई लेना देना नहीं है।

प्रतिवादी

अतिरिक्त

आगे प्रतिवादी सं0 4 ने प्रतिवादी सं0 2 से विधिवत् दिनांक 16.10.09 को उसका 1/2 हिस्सा क्रय किया। क्रेता बोनाफाईड परचेंजर है तथा क्रय की दिनांक से खातेदार काश्तकार की हैसियत से मौके पर काबिज है व काश्तकार है।

प्रतिवादी सं0 4

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खतौनी सैटलमैन्ट 2011 से 2029 खाता सं0 349, प्रमाणित नकल जमाबन्दी खाता सं0 [illegible] संवत् 2060 से 2063, नामान्तकरण सं0 570, जमाबन्दी खाता सं0 233 संवत् 2038 से 2040 की प्रतिया पेश की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी ख0नं0 3294 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 3296 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, ख0नं0 3298 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा वाकै जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर का पर्चा सेटलमेन्ट के समय गोमा वल्द काना, छीतर वल्द बक्सा काबिज काश्त थे, जिसके अनुसार गोमा 1/2 हिस्से का व छीतर 1/2 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त आराजीयात का एकीकरण होकर नये नम्बर ख0नं0 1612 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा शां0नं0 1613, ख0नं0 1658 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा डाले गये, जिमसें भी गोमा 1/2 हिस्से का व छीतर 1/2 हिस्सें का हकदार था ओर इसी अनुसार कब्जा काश्त था व गोमा के स्वर्गवास बाद वादी जो उसका जांयदा पुत्र है उसके 1/2 हिस्से पर काबिज है व प्रतिवादीगण जो छीतर पुत्र बक्सा के वारिसान है 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्ड में पर्चा "गोमा वल्द काना, छीतर वल्द बक्सा" के नाम खाता सं0 349 का जारी किया गया किन्तु बाद में छीतर वल्द बक्सा की जगह छीतर वल्द गंगाराम कर दिया गया व गोमा वल्द काना बदस्तुर चलता रहा। जिस पर छीतर ने दुरूस्ती का आवेदन तहसील में पेश किया जिस पर तहसील के आदेश भू0अ0/79/73/ दिनांक 05.01.79 जारी किया गया, जिसमे "छीतर पुत्र गंगाराम" की बजाय छीतर पुत्र बक्सा "दर्ज होना था जो पूर्व सेटलमेन्ट खतौनी व जमाबन्दीयों अनुसार 1/2 हिस्सें की दुरूस्ती होनी थी किन्तु नामान्तकरण सं 570 पटवारी ने भरा उसमें कॉलम सं0 5 में गोमा पुत्र काना का जो 1/2 हिस्सें का हकदार था नाम दर्ज नहीं किया व केवल "छीतर पुत्र गंगाराम" दर्ज कर दिया ओर कॉलम सं0 11 में "छीतर वल्द बक्सा" दर्ज कर दिया व हिस्सों का खुलासा नहीं किया इस कारण एकीकरण नं0 3294, 3296, 3298 के नये नं0 1612, 1613 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा, ख0नं0 1658 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा की सम्पूर्ण की खातेदारी अन्य नम्बरों के साथ अकेले "छीतर पुत्र बक्सा" के नाम दर्ज हो गयी जबकि उसका केवल 1/2 हिस्सें पर ही कब्जा था ओर 1/2 हिस्सें का ही पर्चा जारी हुआ ओर नामान्तकरण सं0 5701 भी उक्त नम्बरों का 1/2 हिस्सें का ही दर्ज होना चाहिए था तथा 1/2 हिस्से का "गोमा वल्द काना" दर्ज होना चाहिए था हालांकि कब्जा काश्त इसी अनुसार चलता रहा ओर गोमा के स्वर्गवास बाद वादी 1/2 हिस्से पर काबिज है व छीतर के स्वर्गवास [illegible] प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज है छीतर या प्रतिवादीगण [illegible] र्ण रकबे पर कब्जा नहीं रहा अतः उक्त नामान्तकरण सं0 570 [illegible] आधार पर खातेदारी वादीगण कतई पाबन्द नहीं है। कथित नामान्तकरण सं0 [illegible] छीतर पुत्र गंगाराम की व "गोमा वल्द काना" का 1/2 हिस्सा दर्ज न होने से व [illegible] नामान्तकरण तस्दीक कर देने बजाय छीतर पुत्र बक्सा की दुरूस्ती तहसीलदार द्वारा [illegible] से व हिस्सों की जांच न करने के कारण छीतर का नाम दर्ज हो गया ओर उसने कभी गोमा के हिस्सें व वादी के हिस्सें में दखल नहीं किया व उक्त गलती की कोई जानकारी गोमा या वादी को नहीं हुयी किन्तु छीतर के स्वर्गवास बाद खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम खुल गयी उन्होनें भी कब्जें वादी में मजाहमत नहीं की किन्तु जमीनों के भाव बढ जाने से व गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है व वादी को उसके 1/2 हिस्से से वंचित करना चाहते है। इस गरज से दिनाक 20.09.08 को प्रतिवादीगण अजनबियों को साथ लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये व विक्रय की बातचीत करने लगे व वादी के आपत्ति करने पर व दुरूस्ती कराने की कहने पर दुरूस्ती से इंकार हो गया व आराजी विक्रय करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस वकील वादी पर अवलोकन/मनन किया गया। वादीगण ने अपने दावें के समर्थन में वाद भूमि का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि पूर्व खं0नं0 3294, 3296, 3298 से ही वर्तमान खं0नं0 1612, 1613, 1658 बने हो। भूमि एकीकरण में केवल छीतर पुत्र गंगा कौम जाट का खं0नं0 1612, 1613, 1658 के आगे अंकित है जिसका संशोधन कर छीतर पुत्र बक्सा कौम कुमावत अंकित किया गया था। पटवारी रिपोर्ट में वर्तमान में भूमि खाली है किसी का कब्जा साबित नहीं है। मात्र सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2011 से 2029 में खं0न 3294, 3296, 3298 के गोमा वल्द काना, छीतर वल्द बक्सा दर्ज है, मगर वादी ने जमाबन्दी संवत् 2029 से 2038 के बीच बनी जमाबन्दीया प्रस्तुत नहीं की है, न ही उक्त जमाबन्दीयों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई ठोस उचित कारण प्रस्तुत किया। वर्तमान जमाबन्दी में खं0नं0 1612, 1613, 1658 के खातेदार राजेन्द्र पुत्र मदनलाल का 1/2 हिस्सा है जिसके नाम नामान्तकरण सं0 526 दिनांक 08.10.08 को खुला जो कि दावा दायरी से पूर्व का है। वर्तमान जमाबन्दी के खातेदार को बिना पक्षकार बनाए दावा पेश किया गया है जो कि आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन है। वर्तमान जमाबन्दी में वादभूमि के खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिए उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त करना न्यायोचित नहीं है। गोमा के कितने वारिसान (पत्नि, पुत्री, पुत्रीया) है, इसका खुलासा भी वादी ने वाद में नहीं किया, न ही सजरा खानदान पेश किया है इसलिए इस संम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि गोमा के वादी के अलावा भी वारिसान हो जो वादग्रस्त भूमि में सम्भावित एक हिस्सा रखते हो। वादी को अपना वाद अपने पैरों खड़े होकर साबित करना होता है। न्यायालय आवश्यक साक्ष्यों की नजदअंदाजी नहीं कर सकता है। वादी ने वाद पत्र के साथ दस्तावेज की छाया प्रतिया पेश की है जो कि साक्ष्य में ग्राहय नहीं है वादी ने दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत नहीं की। दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से महत्वपूर्ण होते है व अधिक भार रखते है। विधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि पक्षकार को अपना वाद/प्रार्थना पत्र स्वंय साबित करना होता है। इसलिए वादी का वाद सिद्व न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद सिद्व न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 6-11-2019 को न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner